ग्राम पंचायत नगाली विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग–1

1 प्रस्तावना (क)

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सोंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत नगाली विकास खण्ड कण्डाघाट ज़िला सोलन के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/ सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता	1.04.2014 से 22.01.2015
2	श्रीमति कलावती	23.01.2015 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री पंकज शर्मा	1.04.2014 से 22.12.2016
2	श्री ओम प्रकाश	23/12/2016 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नगाली, विकास खण्ड कण्डाघाट,ज़िला सोलन के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	25.31
2	9	अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को स्वयं स्त्रोत की आय में स्थानान्तरण न करना	1.27

3	11	सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय मे अनियमितता	4.97
4	12	तृतीय पक्ष को अनियमित अग्रिम भूगतान	2.
5	14	सावधि जमा प्रतिभूति गिरवी (pledge) रखे बिना ही पशु सहायक(Veterinary Assistant) की नियुक्ति	.05
6	15	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक /स्टोर का क्रय	10.99
7	16	जेसीबी चार्जीस का अनियमित भुगतान	1.84

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नगाली, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी व श्री लोकेश व्यास,कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22/06/2017 से 24/06/2017 तक ग्राम पंचायत नगाली के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 0 8/2014, 3/2016, 8/2016 व 03/2015, 03/2016, 03/2017 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नगाली, विकास खण्ड कंडाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹5400 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जीपीऑडिट/एसएलएन/2017-18-03 दिनांक 23/06/2017 द्वारा सचिव, पंचायत नगाली से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत नगाली द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 103017 दिनांक 4/07/2017 (जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चायल) द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत नगाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2014 से 3/2017 के लेखाओं की वित्तिय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत नगाली के अवधि 4/2014 से 3/2017 स्व स्त्रोतों की वित्तिय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	166337.15	247495	413832.15	6771	407061.15
2015-16	407061.15	22332	429393.15	6908	422485.15
2016-17	422485.15	65750	488235.15	51600	436635.15

(ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत नगाली के अवधि 4/2014 से 3/2017 के अनुदानों की वित्तिय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	371530.84	1157029.80	1528560.64	593362.80	935197.84
2015-16	935197.84	2037305.00	2972502.84	1804379.00	1168123.84
2016-17	1168123.84	6095116.00	7263239.84	4731538.48	2531701.36

संयुक्त बैंक समाधान विवरणी:

(व्यक्तिगत बैंक समाधान विवरणी हेतु **परिशिष्ट 1-बी** का अवलोकन करें)

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/वित्तिय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	25,31,701.36
दिनांक 31/3/2017 को पास बुकों के अनुसार अंतिम शेष	**26,14,724.86**
(विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 1-ए का अवलोकन करें)	
अन्तर	83,023.50

अन्तर का कारण :

सामान्य निधि खाते मे अन्तर की राशि (unreconciled amount)	(+)83,023.00
दिनांक 31/3/2017 को बैंक पास बुकों के अनुसार अंतिम शेष (MGNAREGA,13th FC,14th FC, General Fund and	2531,701.36

RAY/IAY)
(विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 1-ए का अवलोकन करें)

5 रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का मिलान न करने के कारण सामान्य निधि में ₹83,023.50 का अन्तर

सामान्य निधि की रोकड़ बही का सम्बन्धित बैंक खाते से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। नियमानुसार रोकड़ बही तथा पास बुक का मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा पास बुक के अंतिम शेष में ₹83023.50 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/वित्तिय **स्थिति के अनुसार अंतिम शेष**	25,31,701.36
दिनांक 31/3/2017 को पास बुक के अनुसार अंतिम शेष (विवरण परिशष्ट 1 ए में दिया गया है)	26,14,724.86
अन्तर	83,023.50

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना तथा हर माह के अन्त में मिलान करके ग्राम पंचायत प्रधान से प्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का मिलान न करने के कारण पंचायत निधि (स्व स्त्रोत) में ₹3,13,329 का अन्तर

पंचायत निधि की रोकड़ बही का सम्बन्धित बैंक खाते से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही व बैंक शेष का मिलान किया जाना अनिवार्य है पंचायत द्वारा उक्त नियम का पालन न करने के कारण दिनांक 31/03/2017 को रोकड़ बही के अन्तिम शेष व बैंक खाते के अन्त शेष में ₹3,13,329.00 का भारी अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/वित्तिय स्थिति के अनुसार	4,36,635.15

अंतिम शेष

दिनांक 31/3/2017 को पास बुक के अनुसार अंतिम शेष 1,23,306.15

(विवरण परिशिष्ट 1 ए में दिया गया है)

अन्तर 3,13,329.00

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत निधि की रोकड़ बही का बैंक खाते के साथ मिलान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत नगाली द्वारा स्वय के स्त्रोत से प्राप्त आय (पंचायत निधि) व सामान्य निधि (जिसमें की विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, एमपीएलएडी, 5%डीसीपी,3rd राज्य वित्तिय आयोग व प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आदि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान भी शामिल है,) को एक ही रोकड़ बही में प्रविष्ट किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार स्वय के स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं की आय माना गया है तथा खाता – ए (Account -A) में शामिल किया गया है इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओ से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को खाता – बी (Account-B) में रखा गया है जिस हेतु अलग बैंक खाता व अलग रोकड़ बही में प्रविष्टि किया जाना वांछित है अतः पंचायत निधि को सामान्य रोकड़ बही से पृथक किया जाये तथा अन्तर ₹3,13,329 का मिलान कर आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 अनुदान ₹25.31 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ₹25,31,701 उपयोग हेतु शेष थी। जिसे न तो पंचायत द्वारा निश्चित अवधि हेतु सावधि जमा में निवेश किया गया ताकि पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त होती और न ही ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर उपयोग किया गया अतः ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि का उपयोग विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान राशी का नियमानुसार उसी कार्य पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस कार्य हेतु अनुदान राशी स्वीकृत की गई है ।

9 अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹1,27,054 को स्वयं स्त्रोत की आय में स्थानान्तरण न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(i) के अनुसार नियम 3 के कोड संख्या 1 से 50 में सन्दर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं की आय माना गया है तथा खाता-ए (Account-A) में शामिल किया गया है इसी प्रकार नियम 3 के कोड संख्या 51 से 99 जिसमें विभिन्न संस्थाओ से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को भी शामिल किया गया है तथा खाता-बी (Account-B) में रखा गया है। खाता-बी पर प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष जनवरी व जुलाई में खाता-ए (स्वयं के स्त्रोत की आय) में स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है। अतः ग्राम पंचायत को विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त हुई ब्याज ₹1,27,054 जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय में स्थानान्तरित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा ₹1,27,054 की राशि को खाता-ए में स्थानान्तरित कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम संख्या	**अनुदान स्त्रोत**	**वर्ष**		
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**
1	सामान्य निधि	16758	29656	55172
2	इंदिरा/राजीव आवास योजना	1187	1051	287

3	13वां वित्त आयोग	2674	2782	2899
4	14वां वित्त आयोग	0	0	12389
5	मनरेगा	1716	459	24
		22325	**33948**	**70771**

कुल स्थानातरण योग्य ₹1,27,054

10 बैंकों द्वारा अनियमित कटोतियाँ ₹398

ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंकों खातों के अवलोकन पर पाया गया कि बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंक खातों से न्यूनतम शेष चार्जेज ₹398 की अनियमित कटौती की गई है जबकि नियमानुसार सरकारी विभागों व संस्थाओं से न्यूनतम शेष चार्जेज व अन्य चार्जेज वसूल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सम्बंधित बैंकों से इस प्रकार की गई अनियमित कटौती की वसूली हेतु आवश्यक पग उठाये जायें ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन-जिन बैंक खातों पर न्यूनतम शेष शुल्क काटा गया है उन्हें समय पर बंद न किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों द्वारा काटी गई राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है ।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या (last four digits)	अनुदान स्त्रोत	अवधि	कटौती राशि
1	एसबीओपी चायल	8598	पंचायत निधि	13/1/15 से 21/3/16	86
3	जेसीसी बैंक कंडाघाट	2429	सामान्य	28/5/14	25
4	-यथोपरी-	0327	इंदिरा/राजीव आवास योजना	30/6/16 से 28/2/17	287

कुल कटौतियां ₹398

11 ₹4,97,500 की सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय मे अनियमितता

ग्राम पंचायत नगाली द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मेसर्स उषा इंटरप्राइजेज बद्दी,सोलन से निम्न विवरणानुसार ₹4,97,500 की राशि की सोलर स्ट्रीट लाइटों का क्रय किया गया :

क्र० सं०	बिल सं०	दिनांक	लाइट्स की संख्या	मूल्य प्रति लाइट	कुल राशि
1	20	17/3/16	25	19900	497500

उपरोक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

i) **₹4,97,500** की सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं

की गई अर्थात क्रय हेतु नियम 67(3) के अंतर्गत क्रय समिति का गठन व 67(5) के अंतर्गत निर्धारित विधि द्वारा टेंडर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य था जबकि पंचायत द्वारा बिना कोटेशन/टेंडर आमंत्रित किये ही क्रय किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

ii) खरीदी गई सोलर स्ट्रीट लाइटों की भंडारण प्रविष्टि उचित प्रकार से नहीं की गई अर्थात स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में विक्रेता का नाम,बिल संख्या,क्रय तिथि व क्रय की गई वस्तु के गारन्टी/वारन्टी का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

iii) इस आशय की कोई पुष्टि नहीं की गई की खरीदी गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को उन्ही चिन्हित स्थानों पर स्थापित कर दिया गया है जहां के लिए इन्हे क्रय किया गया था।

iv) सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय से संबन्धित कोटेशनों के अवलोकन से पाया गया की कोटेशनों पर न तो कोटेशन प्रदान किए जाने (date of sending of quotation by the supplier) और न ही कोटेशन प्राप्त किये जाने की कोई भी तिथि (date of receiving or opening of quotations) अंकित की गई है जिसकी अनुपस्थिति में न तो कोटेशनों की वैधता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और न ही समय विशेष में प्रतियोगी मूल्यों की ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः इस प्रकार से कोटेशन प्राप्त करना मात्र एक खानापूर्ति है जिससे न्यूनतम प्रतियोगी मूल्यों पर क्रय करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत प्रावधित नियमों की अनुपालना कर इस प्रकार का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

v) सोलर स्ट्रीट लाइटों के क्रय हेतु न तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति और न ही इस क्रय से सम्बन्धित आवश्यक प्राक्कलन अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए ।

12 तृतीय पक्ष को ₹2,00,000 के अनियमित अग्रिम भूगतान बारे

ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दो 10HP के डीजल इंजन क्रय करने हेतु निविदाएँ प्राप्त की गई (निविदा प्राप्ति से सम्बंधित विवरण पैरा-15 में दिया गया है) तथा पंचायत द्वारा प्राप्त की गई निविदाओं में किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा अग्रिम राशि दिए जाने की कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा ठाकुर ट्रेडर सोलन को ₹2,00,000 दिनांक 28/03/2016 को देकर एक-एक लाख की, दो रसीदें,रसीद संख्या 1075 व 1076 प्राप्त की गई है, जबकि पंचायत को दो 10HP डीजल इंजन के पम्पों की सप्लाई दिनांक 23/04/2016 को बिल

संख्या 602 (₹2,16,000) व 603 (₹2,16,000) द्वारा की गई है। अतः तृतीय पक्ष अर्थात ठाकुर ट्रेडर सोलन को वस्तुओं की वास्तविक प्राप्ति से पहले ही ₹2,00,000 के भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में इस प्रकार का भुगतान न किया जाए ।

13 विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना से ₹750 का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत द्वारा आंगनवाडी केंद्र टिककर में लोहे की रेलिंग लगाने हेतु निविदाएँ प्राप्त की गई जिसमें की वेल्डिंग फेब्रिकेशन वर्क्स, दोलग-कण्डाघाट द्वारा न्यूनतम मूल्य ₹67 प्रतिकिलो की दर से रेलिंग लगाने की सहमति दी गई। वेल्डिंग फेब्रिकेशन वर्क्स, दोलग द्वारा बिल संख्या 105 दिनांक 9/5/16 द्वारा ग्राम पंचायत को 90 फुट रेलिंग का वजन 525 किलोग्राम दर्शाया गया है जिसे पंचायत के किसी भी सक्षम कमर्चारी/पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है की आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल पर दर्शाया गया रेलिंग का वजन सही है जिसे सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा उपरोक्त के अतिरिक्त वेल्डिंग फेब्रिकेशन वर्क्स, दोलग द्वारा बिल पर ₹750 बतौर ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी वसूल किये गए है जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई निविदा में ऐसी कोई भी शर्त पूर्व में निर्धरित नहीं की गई थी। अतः आपूर्तिकर्ता को ₹750 का अधिक भुगतान किया गया है जिसे सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित कर आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

14 अनुबन्ध शर्तों की अवहेलना कर ₹5000/- की सावधि जमा प्रतिभूति गिरवी (pledge) रखे बिना ही पशु सहायक (Veterinary Assistant) की नियुक्ति

ग्राम पंचायत नगाली द्वारा अनुबन्ध पर रखे गए पशु सहायक को दिए जा रहे मासिक मानदेय की जांच करने पर पाया गया की ग्राम पंचायत नगाली द्वारा सचिव के माध्यम से नव नियुक्त पशु सहायक के साथ दिनांक 21/09/2012 को पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निर्देशानुसार ₹5000 मासिक मानदेय के आधार पर अनुबन्ध किया गया। अनुबन्ध की शर्त संख्या दो के अनुसार पशु सहायक द्वारा कार्यग्रहण से पूर्व ₹5000 की सावधि जमा (FDR) सचिव के पास गिरवी रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण/नियुक्ति किये जाने का प्रावधान था परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा वांछित राशि गिरवी रखे बिना ही पशु सहायक की कार्यग्रहण सुचना (joining report) स्वीकार की गई जो की अनुबंध शर्तों की स्पष्ट अवहेलना है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹5000 की सावधि जमा (FDR) पशु सहायक से

अब प्राप्त कर ग्राम पंचायत कार्यालय में गिरवी रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹10.99 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर, न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा न तो नियमानुसार कोटेशने ही प्राप्त कि गई और न ही किसी क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए ।

नियम 3(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा कोटेशने/टेंडर आमंत्रित करने के उपरान्त ही ₹1000 से अधिक की राशि की स्टोर-स्टॉक/निर्माण सामग्री क्रय किए जाने का प्रावधान है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया है और न ही कोई कोटेशने/टेंडर प्राप्त किए है बल्कि यदाकदा बिना किसी निर्धारित औपचारिकता को पूर्ण किये क्रय की जाने वाली वस्तु/सामग्री से सम्बंधित मूल्य प्राप्त कर कोटेशन के नाम पर संलग्न किया गया है परन्तु इस प्रकार संलग्न किसी भी मूल्य सूचि को किसी भी समिति/उपसमिति द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों से होने वाले लाभ से पुर्णतः वंचित किया गया है तथा अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक-स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे नियमानुसार ही स्टॉक-स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अंकेक्षण हेतु चयनित माह की जांच में पाया गया की पंचायत द्वारा लगभग ₹10,99,015 के स्टॉक-स्टोर का क्रय उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए

बिना ही किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2** में दिया गया है ।

16 जेसीबी चार्जीस ₹1,84,400 का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत नगाली के अवधि 4/2014 से 3/2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जेसीबी को ₹800 प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर विभिन्न सड़कों का निर्माण/मुरम्मत कार्य करवाया गया है और जेसीबी के ठेकेदारों/सड़क निर्माण में लगाई गई मशीनों को एक ही दर से अर्थात ₹800 प्रति घंटे की दर से कोटेशन के आधार पर भुगतान दर्शाया गया है जबकि तकनिकी सहायक/कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश पीडब्लूडी शेड्यूल रेट के आधार कटाई करवाए जाने वाले कार्य के एस्टीमेट तैयार कर कार्य की प्रमात्रा क्यूबिक मीटर में निकाली जाती है/गई है जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की प्रकृति व् प्रमात्रा के आधार पर सड़क निर्माण/मुरम्मत हेतु प्रति क्यूबिक मीटर के आधार पर कोटेशन/टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्य करवाया जाना वांछित था। ग्राम पंचायत द्वारा जिस प्रकार जेसीबी मशीन से करवाई गई निर्माण/मुरम्मत का भुगतान घंटों के आधार पर किया गया है वह किसी भी प्रकार से तर्कसंगत व् न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्यों की न तो कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनुमानित कार्य व् वास्तविक रूप से हुए कार्य को जांचने के उपरांत तकनिकी सहायक/कनिष्ट अभियंता द्वारा डेविएशन स्टेटमेंट तैयार की गई है और न ही कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ही जारी किया गया है, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जेसीबी मालिक द्वारा बिल में दर्शाए गए घंटों को किसी भी सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जिसकी अनुपस्तिथि में बिल पर दर्शाए गए कार्य घंटों की सत्यता व कार्य के पूर्ण निष्पादन न होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटें की दर से करवाए गए कार्य (अंकेक्षण हेतु चयनित माह में) का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटे की दर से जेसीबी से करवाए गए कार्य की जांच करवाया जाना सुनिश्चित करे की, जिस कार्य हेतु भुगतान किया गया है वह पूर्ण हो चूका है तथा किये गए कार्य की असेसमेंट करने के उपरांत अनुमानित कार्य से मिलान कर यह भी सुनिश्चित किया जाये की जेसीबी को प्रति घंटे की दर से शेडयूल रेट के आधार पर निर्धारित होने वाली राशी व जस्टीफ़ाइड रेट्स से अधिक भुगतान नहीं किया गया है ।

परिशिष्ट-3 में वर्णित ठेकेदार/जेसीबी मालिकों को कार्य का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौती नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदार से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांछित थी ।

a) आयकर, फर्म व कम्पनी से 2%, व्यक्तिगत व एचयूएँफ़ से 1% की दर से

b) सेल्स टैक्स 3%

c) प्रतिभूति राशि 10%

d) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्ट कर, माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

17 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता

ग्राम पंचायत नगाली को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के बारे में आवश्यक सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जीपी ऑडिट/एसएलएन/2017-18-9 दिनांक 22/06/2017 जारी किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट-4** पर संलग्न सूचि के अनुसार स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के बारे में आवश्यक सूचना प्रदान की गई, जिसके अवलोकन से पाया गया की ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा गृहकर, राशन कार्ड, विवाह दान, विवाह तथा परिवार नक़ल, जन्म पंजीकरण, विवाह पंजीकरण आदि की वसूल की जा रही दरों से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंकेक्षण को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया की लगभग 20 वर्षों पहले ग्राम सभा द्वारा पारित दरों से ही उपरोक्त वसूलियां की जा रही है जबकि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में कई वाणिज्यिक होटल्स भी है जिन पर ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम, 1994 की धारा 100 के अन्तर्गत संपत्ति कर उद्गहित किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत की आय में बढ़ोतरी हेतु आवश्यक पग न उठाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली सभी मदों की वर्तमान व संशोधित दरों से वसूली की

जानी सुनिश्चित करने के साथ-साथ पंचायत को प्राप्त होने वाली आय से सम्बंधित मांग एवम प्राप्ति रजिस्टर तैयार कर अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

18 गृहकर की राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्वय के स्त्रोत से कुछ राशि एकत्रित की गई परन्तु एकत्रित की गई राशि को सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही कार्यालय व्यय हेतु उपयोग में लाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है और नियम 10(3) के अन्तर्गत आकस्मिक व्यय हेतु सचिव द्वारा मात्र एक हजार तक की राशि को इम्प्रेस्ट में रखे जाने क प्रावधान है जबकि सचिव द्वारा इम्प्रेस्ट में कोई भी राशि नहीं रखी गई है । बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही किये गए कुछ भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है ।

प्राप्त राशि का विवरण			भुगतान विवरण		
क्रम संख्या	**रसीद संख्या व दिनांक**	**राशि**	**मद जिस पर व्यय की गई**	**राशि**	**दिनांक**
1	019541 6/8/16	100	Photostat	100	6/8/16
2	019549-51 22/8/14	200	Office exp.	200	22/8/14
3	019607-08-09 15/2/16	150	Photostat	150	15/2/16
4	019614-15 21/3/16	200	Office exp.	200	21/3/16
5	019596-97 20/7/16	200	Office exp.	200	20/7/16

कुल प्राप्त राशि ₹850 **भुगतान राशि ₹850**

अतः स्पष्ट किया जाये की एकत्रित की गई राशि को उसी दिन या अगले ही दिन बैंक खाते में जमा क्यों नहीं किया गया तथा किन नियमों के तहत एकत्रित की गई राशि को बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही कार्यालय व्यय हेतु उपयोग में लाया गया है। भविष्य में एकत्रित की जाने वाली राशि का बैंक में जमा करवाया जाना तथा बैंक से ही भुगतान हेतु निकासी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अन्तर्गत मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का बिना सत्यापन भुगतान

विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अन्तर्गत मस्ट्रोल पर करवाए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु जारी मस्ट्रोल की जांच करने पर पाया गया की मस्ट्रोल पर श्रमिकों द्वारा किये गए कार्य की प्रगति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और न ही मस्ट्रोल पर कार्य प्रगति के किसी पंजिका में प्रविष्ट किये जाने से सम्बन्धित कोई उल्लेख था जिस कारण मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह सुनिश्चित किया जाए की सम्बन्धित तकनीकी सहायक व कनिष्ट अभियंता द्वारा कार्य प्रगति से सम्बंधित तैयार किया गया अभिलेख अवलोकनार्थ पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हो तथा तकनीकी सहायक/कनिष्ट अभियंता द्वारा मस्ट्रोल पर सम्बन्धित कार्य के एम् बी में प्रविष्ट किये जाने का भी स्पष्ट उल्लेख हो ।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य है अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो की अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

- I अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर ।
- Ii रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी ।
- iii चैक जारी करने का रजिस्टर ।
- Iv चल संपत्ति का रजिस्टर ।
- V आकस्मिक व्यय रजिस्टर ।
- Vi चैक प्राप्ति रजिस्टर ।
- Vii प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर ।
- Viii खाता बही रजिस्टर ।
- ix इन्वेंट्री रजिस्टर ।
- x सावधि जमा रजिस्टर ।

21 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा न तो क्रय की जा रही भण्डार सामग्री को नियमानुसार सम्बन्धित पंजीका में प्रविष्ट किया जा रहा है और न ही क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

22 लघु आपत्ति विवरणिका

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस सम्बंधित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(iv)26/2017–खण्ड–1–6184–6187 दिनाँक,12.10.17
शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत नगाली, विकास खण्ड कण्डाघाट तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कण्डाघाट तहसील कण्डाघाट जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881